



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 21 अगस्त, 2025

श्रावण 30, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 169/79-वि-1-2025-1-क-12-2025

लखनऊ, 21 अगस्त, 2025

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 जिससे संसदीय कार्य अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 21 अगस्त, 2025 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2025 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि

(संशोधन) अधिनियम, 2025

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2025)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय—दो

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन)

अधिनियम, 1980 का संशोधन

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
23 सन् 1980 की
धारा 3 का
संशोधन

2— (1) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,

(क) उपधारा (1) में शब्द “पच्चीस हजार रुपये” के स्थान पर शब्द “पैंतीस हजार रुपये” रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

“(3) सदस्यों के वेतन में दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रारम्भ होकर प्रत्येक 05 वर्ष के पश्चात् आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1961) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खण्ड (पाँच) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जायेगी।”

धारा 4 का
संशोधन

3— मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द “पचास हजार रुपये” के स्थान पर शब्द “पचहत्तर हजार रुपये” रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का
संशोधन

4— मूल अधिनियम की धारा 5 में—

(क) उपधारा (1) में शब्द “चार लाख पच्चीस हजार रुपये” के स्थान पर शब्द “पाँच लाख रुपये” रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में,

(एक) शब्द “एक लाख रुपये” के स्थान पर शब्द “एक लाख पचास हजार रुपये” रख दिये जायेंगे।

(दो) उपधारा 2 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) में शब्द “पच्चीस हजार रुपये” के स्थान पर शब्द “उसके द्वारा चुनी गयी धनराशि” रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा 2 के चतुर्थ परन्तुक में शब्द “पचास हजार रुपये” के स्थान पर शब्द “एक लाख रुपये” रख दिये जायेंगे।

धारा 10 का
संशोधन

5— मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:

“(10) इस अध्याय के अधीन किसी सदस्य अथवा भूतपूर्व सदस्य को जारी किये गये रेलवे कूपन ऐसी अवधि के लिए विधिमाम्य होंगे और प्रत्येक अप्रयुक्त रेलवे कूपन सचिव को ऐसी रीति से अभ्यर्पित कर दिया जायेगा जैसा कि विहित किया जाय तथा ऐसे अभ्यर्पित रेलवे कूपनों के मूल्य के समतुल्य धनराशि ऐसे सदस्य अथवा भूतपूर्व सदस्य को नकद दिया जायेगा।”

धारा 15 का
संशोधन

6— मूल अधिनियम की धारा 15 में—

(क) उपधारा (1) में शब्द “दो हजार रुपये” के स्थान पर शब्द “दो हजार पाँच सौ रुपये” रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्:

परन्तु यह कि यदि कोई सदस्य, सभा या परिषद् की बैठक में यथास्थिति, किसी सत्र के दौरान अथवा उसकी किसी समिति की किसी बैठक में एक दिन या उससे अधिक उपस्थित नहीं होता है, तो वह ऐसी अनुपस्थिति के दिवस के लिए उपधारा (ii) के अधीन अनुज्ञेय दैनिक भत्ता का हकदार नहीं होगा।

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

“(2) प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद और नेता विरोधी दल के पद पर आसीन हो या न हो, उन दिनों के लिए जिसके दौरान वह जन सेवा के कार्यों हेतु दौरा करता है और जिनके लिए उपधारा (i) के अधीन भत्ता या आनुषंगिक प्रभार अनुज्ञेय न हों या नहीं हो सकते हों, दो हजार रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ते का हकदार होगा।”;

(घ) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:-

परन्तु यह कि कोई भी सदस्य जेल में उसके परिरोध की अवधि हेतु, उसके उन्मोचन के दिन के सिवाय उपधारा (1) या (2) के अधीन अनुज्ञेय दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

(ङ) उपधारा (3) को निकाल दिया जायेगा।

(च) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात:-

“(4) उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित दैनिक भत्ते में दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से प्रारम्भ होकर प्रत्येक पाँच वर्ष पश्चात् आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1961) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खण्ड (पाँच) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जायेगी।”

7—मूल अधिनियम की धारा 15—क में शब्द “बीस हजार रुपये”, के स्थान पर शब्द “तीस हजार रुपये” रख दिये जायेंगे। धारा 15—क का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 18—क में खण्ड (क) में शब्द “तीस हजार रुपये”, के स्थान पर शब्द, “पैंतालीस हजार रुपये” रख दिये जायेंगे। धारा 18—क का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात:- धारा 24 का संशोधन

“(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में किसी भी अवधि के लिए कार्य किया हो, अपने जीवन-पर्यन्त पैंतीस हजार रुपये प्रतिमास की दर से पेंशन पाने का हकदार होगा:

परन्तु यह कि जहाँ किसी व्यक्ति ने पूर्वोक्तानुसार एक कार्यकाल, चाहे उसकी अवधि कितनी भी हो, से अधिक अवधि के लिए कार्य किया हो तो वह एक कार्यकाल के अतिरिक्त प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए दो हजार रुपये प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा:”

परन्तु यह और कि जहाँ किसी व्यक्ति ने पूर्वोक्तानुसार विधान परिषद् के सदस्य के रूप में अपना छः वर्ष का प्रथम कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, वह दो हजार रुपये की अतिरिक्त मासिक पेंशन का हकदार होगा, उदाहरणतः सैंतीस हजार रुपये प्रतिमाह की कुल पेंशन:

परन्तु यह और भी कि विधान सभा के विघटन की दशा में विधान सभा के विघटन दिनांक से नयी विधान सभा के प्रथम बैठक के दिनांक तक की अवधि की गणना उस सदस्य के पेंशन प्रयोजनों के लिए की जायेगी जो विघटित विधान सभा का अध्यक्ष रहे हों और उक्त अवधि के दौरान अपने पद पर बने रहे हों।

स्पष्टीकरण— जहाँ किसी व्यक्ति ने छः माह और उससे अधिक की अवधि के लिए विधान सभा या परिषद् के एक सदस्य के रूप में सेवा की हो और एक वर्ष पूर्ण नहीं किया हो तो ऐसे व्यक्ति की पेंशन की गणना के प्रयोजनार्थ यह समझा जायेगा कि उस व्यक्ति ने एक वर्ष के लिए सदस्य के रूप में कार्य किया है।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति किसी अन्य पेंशन का भी हकदार हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति ऐसी पेंशन के अतिरिक्त उपधारा (1) के अधीन पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति को अनुज्ञेय पेंशन व अतिरिक्त पेंशन में दिनांक 01 अप्रैल 2025 से प्रारम्भ होकर प्रत्येक पाँच वर्ष पर आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1961) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खण्ड (पाँच) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जायेगी।”

धारा 26—क का
संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 26—क में—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:—

“(1) यदि किसी आसीन सदस्य की अपनी पदावधि के दौरान मृत्यु हो जाय, तो ऐसे सदस्य का पति/पत्नी या यदि ऐसा व्यक्ति कोई पति/पत्नी छोड़कर न जाय तो उसके अवयस्क बच्चे या अविवाहित पुत्रियाँ, मृत्यु के समय मृतक सदस्यो को अन्यथा अनुमन्य पेंशन के बराबर या तीस हजार रुपये की पेंशन, जो भी अधिक हो, ऐसे पति/पत्नी के जीवनकाल तक के लिए या अवयस्क बच्चों के वयस्क, होने तक और पुत्रियों के मामले में उनका विवाह होने तक पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:—

“(2) यदि किसी भूतपूर्व सदस्य की मृत्यु हो जाय, तो ऐसे भूतपूर्व सदस्य का पति/पत्नी या यदि ऐसा व्यक्ति कोई पति/पत्नी छोड़कर न जाय तो उसके अवयस्क बच्चे या अविवाहित पुत्रियाँ, ऐसे भूतपूर्व सदस्य की मृत्यु के समय की पेंशन के बराबर या तीस हजार रुपये की पेंशन, जो भी अधिक हो, ऐसे पति/पत्नी के जीवनकाल तक के लिए या अवयस्क बच्चों के वयस्क होने तक और पुत्रियों के मामले में उनका विवाह होने तक पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।”

(ग) विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा अर्थात:—

“परन्तु यह और कि जहाँ उपधारा (1) या (2) के अधीन एक से अधिक व्यक्ति पेंशन के हकदार हो जाते हैं तो ऐसे सभी व्यक्ति उक्त पेंशन समान अंशों में आहरित करेंगे।”

अध्याय—तीन

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम 1981 का संशोधन

उत्तर प्रदेश

अधिनियम संख्या

14 सन् 1981 की

धारा 3 का संशोधन

11—उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम 1981 की धारा 3 में :—

(क) उपधारा (1) में शब्द “चालीस हजार रुपये” के स्थान पर शब्द “पचास हजार रुपये” रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द “पैंतीस हजार रुपये” के स्थान पर शब्द “पैंतालीस हजार रुपये” रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को अनुज्ञेय वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सुख-सुविधाओं तथा मंत्रीगण के वेतन को दीर्घ काल से पुनरीक्षित नहीं किया गया है। मूल्य वृद्धि और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत इसे पुनरीक्षित किये जाने का विनिश्चय किया गया है जिससे वे अपने निर्वाचन क्षेत्र की सेवा सार्थक रूप से कर सकें।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1961) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खण्ड (पाँच) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक पाँच वर्ष में संसद सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ते तथा पूर्व संसद सदस्यों की पेंशन और अतिरिक्त पेंशन को पुनरीक्षित करने के भारत सरकार के विनिश्चय के दृष्टिगत यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 को संशोधित करके राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ते तथा पूर्व राज्य विधान मण्डल सदस्यों की पेंशन, अतिरिक्त पेंशन को दिनांक 01 अप्रैल 2025 से प्रत्येक पाँच वर्ष पर उसी रीति में पुनरीक्षित किया जाय।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन), विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 169 (2)/LXXIX-V-1-2025-1-ka-12-2025

Dated Lucknow, August 21, 2025

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal Sadasya Tatha Mantri Sukh-Suvidha Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2025) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 21, 2025. The Sansadiya Karya Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE MEMBERS AND MINISTERS
AMENITIES LAWS (AMENDMENT) ACT, 2025

*(U.P. Act no. 13 of 2025)**(As passed by the Uttar Pradesh Legislaure)*

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 and the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of Republic of India as follows:-

CHAPTER- I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature Members and Ministers Amenities Laws (Amendment) Act, 2025.

Short title and
commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2025.

CHAPTER-II

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE
(MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) ACT, 1980

2. (1) In the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, in Section 3,—

Amendment of
Section 3 of
U.P. Act No. 23
of 1980

(a) in sub-section (1), *for the words "twenty five thousand rupees", the words "thirty five thousand rupees" shall be substituted;*

(b) *after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:-*

"(3) The salary of members shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2025 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to Section 48 of the Income-tax Act, 1961 (Act No. 43 of 1961)."

3. In Section 4 of the principal Act, *for the words "fifty thousand rupees" the words "seventy five thousand rupees" shall be substituted.*

Amendment of
Section 4

4. In Section 5 of the principal Act,—

Amendment of
Section 5

(a) in sub-section (1), *for the words "four lakh twenty five thousand rupees", the words "five lakh rupees" shall be substituted;*

(b) in sub-section (2),—

(i) *for the words "one lakh rupees", the words "one lakh fifty thousand rupees" shall be substituted;*

(ii) in clause (b) of first proviso, *for the words "twenty five thousand rupees", the words "the amount opted by him" shall be substituted;*

(c) in the fourth proviso, *for the words "fifty thousand rupees", the words "one lakh rupees" shall be substituted.*

Amendment of
Section 10

5. For Section 10 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:-

"The railway coupons issued to a member or ex-member under this Chapter shall be valid for such period and every unused coupon shall be surrendered to the Secretary in such manner as may be prescribed and an amount equivalent to the value of such surrendered railway coupons shall be paid in cash to such member or ex-member."

Amendment of
Section 15

6. In Section 15 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), *for* the words **"two thousand rupees"**, the words **"two thousand and five hundred rupees"** shall be *substituted*;

(b) before the Explanation to sub-section (1), the following proviso shall be *inserted*, namely :-

Provided that if a member does not attend the sitting of Assembly or Council, as the case may be, on a day or more during a session or at any sittings of any Committee thereof, he shall not be entitled for the daily allowance admissible under sub-section (2) for the days of such absence.

(c) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(2) Every member whether or not he holds any office referred to in clause (i) of Section 2 and the Leader of Opposition shall be entitled to daily allowance at the rate of two thousand rupees per day for the days during which he tours for the works in the service of the public and for which the allowance or incidental charges under sub-section (1) are not, may not be admissible.";

(d) *after* sub-section (2), the following proviso shall be *inserted*, namely:-

Provided that a member shall not be entitled to the daily allowance admissible under sub-sections (1) or (2) for the period of his confinement in a jail except the day of his discharge.

(e) sub-section (3) shall be *omitted*;

(f) *after* sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(4) The daily allowances mentioned in sub-sections (1) and (2) shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2025 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of *Explanation* to Section 48 of the Income-tax Act, 1961 (Act No.43 of 1961)."

Amendment of
Section 15- A

7. In Section 15-A of the principal Act, *for* the words **"twenty thousand rupees"**, the words **"thirty thousand rupees"** shall be *substituted*.

Amendment of
Section 18- A

8. In Section 18-A of the principal Act, in clause (a) *for* the words **"thirty thousand rupees"**, the words **"forty five thousand rupees"** shall be *substituted*.

Amendment of
Section 24

9. For Section 24 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely;-

"(1) Every person who has served as a member of the Assembly or the Council for any period shall be entitled to a pension at the rate of thirty five thousand rupees per month throughout his life:

Provided that where any person who has served as aforesaid for a period exceeding one term of whatever duration, he shall be entitled to an additional pension at the rate of two thousand rupees for every completed year in excess of one term:"

Provided further that where any person who has served as aforesaid for his first full term of six years as a member of Council, he shall be entitled to an additional pension of two thousand rupees i.e. a total pension of thirty seven thousand rupees per month:

Provided also that in the event of dissolution of Assembly, the period from the date of dissolution of Assembly, till the date of first meeting of the new Assembly, shall be counted for pension purposes of a member who has been the speaker of the dissolved Assembly and has continued to be in office as such during the said period.

Explanation- Where a person has served as a member of the Assembly or the Council for a term of six months and above and has not completed one year then such person shall for the purposes of calculating the pension, be deemed to have served as member for one year.

(2) Where any person entitled to pension under sub-section (1) is also entitled to any other pension, such person shall be entitled to receive the pension under sub-section (1) in addition to such pension.

(3) The pension and additional pension to every person shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2025 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to section 48 of the Income-tax Act, 1961 (Act No.43 of 1961)."

10. In Section 26-A of the principal Act,—

(a) *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

Amendment of
Section 26-A

“(1) If a sitting member dies during the tenure of his or her office, the spouse of such member **or if such person leaves no spouse, his minor children or unmarried daughters** shall be entitled to a family pension equal to pension otherwise admissible to the deceased member at the time of death or a pension of **thirty thousand rupees**, whichever is greater, for the lifetime of such spouse **or till the minor children attain the age of majority and in case of daughters till they get married.**”;

(b) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

“(2) If an ex-member dies, the spouse of such ex-member **or if such person leaves no spouse his minor children or unmarried daughters** shall be entitled to a family pension equal to pension of such ex-member at the time of death or a pension of **thirty thousand rupees**, whichever is greater, for the life-time of such spouse **or till the minor children attain the age of majority and in case of daughters till they get married.**”

(c) *after* the existing proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely:—

"Provided further that where more than one person becomes entitled for pension under sub-sections (1) or (2) all such persons shall draw the said pension in equal shares."

CHAPTER— III

THE UTTAR PRADESH MINISTERS (SALARIES, ALLOWANCES AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1981

11. In Section 3 of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981,—

Amendment of
Section 3 of
U.P. Act no 14
of 1981

(a) in sub-section (1), *for* the words **"forty thousand"** the words **"Fifty thousand"** shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2), *for* the words **"thirty five thousand"**, the words **"forty five thousand"** shall be *substituted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The salary, allowances, pension and other amenities admissible to the members of the State Legislature and the salary of Ministers have not been revised for a long time. In view of the price rise and escalation in cost of living, it has been decided to revise the same so that they may serve the cause of their constituency in a meaningful manner.

In view of the decision by Government of India to revise the salary, daily allowance of members of Parliament, pension and additional pension of ex-members of Parliament every five years through notification on the basis of cost inflation index provided under clause (v) of explanation to Section 48 of the Income-tax Act, 1961 (Act No.43 of 1961), it has been decided to revise the salary, daily allowance of members of State Legislature and pension, additional pension of ex-members of State Legislature every five years in the same manner from 1st April, 2025 by amending the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 and the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981.

The Uttar Pradesh State Legislature Members and Ministers Amenities Laws (Amendment) Act, 2025 is introduced accordingly.

By order,

ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 139 राजपत्र-2025-(431)-599 प्रतियां-(डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 59 सा० विधायी-2025-(432)-70+330= 400 प्रतियां-(डी०टी०पी०/ऑफसेट)।